13-7-2023

परिवादी की ओर से श्री एस.एन. लाठी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण शेष न्याय शुल्क प्रस्तुती हेतु नियत है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्व ारा दिनांक 07.01.2023 को अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त दिनांक से आज दिनांक तक प्रकरण न्यायालय फीस चस्पा करने हेतु नियत है। उक्त परिवाद 35000/- रूपये की राशि हेतु लगाया गया है जिसके लिये 1750 रूपये न्यायालय शुल्क अदा किया जाना है। परिवादी को पूर्व पेशी दिनांक को भी न्यायालय

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . of 20 . . . .

...of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	शुल्क प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान कर न्यायालय शुल्क अदा नहीं करने की दशा में परिवादी निरस्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु उसके पश्चात भी परिवादी द्वारा न्यायालय शुल्क पेश नहीं किया गया है। परिवादी को अनिश्चित समय के लिये न्यायालय शुल्क प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाना उचित दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार यह दर्शित होता है कि परिवादी उसका प्रकरण संचालित करने हेतु इच्छुक नहीं है। अतः न्यायालय शुल्क के अभाव में परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर सी.आई.एस. में अपलोड कर प्रकरण नियत समयावधी में अभिलेखागार देवास भेजा जावे। 13.7.2023 ।। स्वाति बजाज ।। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.	